न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 16/2020

दयाराम मीणा पुत्र स्वं. श्री गंगासहाय मीणा ग्राम राजधिराजपुरा ,ग्रा.प. तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज0।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहासीलदार निवाई जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15-7-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 20-5-2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तह0 निवाई को अन्तरित कर सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार निवाई ने सूचना दूसरे सर्किल की होने के कारण नायब तहसीलदार दत्तवास को भिजवाकर निम्न वर्णित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये-

ग्राम बाढ रामपुरा पटवार मण्डल हिंगोनिया बुजुर्ग (ग्राम बाढ रामपुरा पूर्व में पटवार मण्डल, तुर्किया के अन्तर्गत आता था) तहसील निवाई, जिला टोंक के हाल आराजी खसरा नम्बर 14 एवं 18 (जमाबन्दी संलग्न है) हाल आराजी खसरा नम्बर 2,3,4,4/159,18/160, 18/161, 18/162 (जमाबन्दी संलग्न है) हाल अराजी खसरा नम्बर 1,6,7,8,9,10,11,15,17,109,110,141,1042 (जमाबन्दी संलग्न है) के सम्बधं में निम्न लिखित बिन्दुओं की सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे-

A उपरोक्त, खसरा नम्बर की मिसल चकबन्दी संवत 1998 से लेकर संवत 2007 तक की अवधि तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो-दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

B उपरोक्त खसरा नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो-दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

C उपरोक्त खसरा नम्बरान के मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो–दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

D उपरोक्त खसरा नम्बरान के खतौनी बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो–दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

E उपरोक्त खसरा नम्बरान की नकल नक्शा ट्रेस भू–प्रबन्धन से पहले की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो–दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

F उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी चौसाला खेवट/खतौनी संवत 2012 से लेकर सवंत 2058 तक की अवधि तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो–दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

G उपरोक्त खसरा नम्बरान की खसरा गिरदावरी संवत 2012 से लेकर सवंत 2076 तक की अवधि तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो–दो प्रतियों में उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

H उपरोक्त खसरा नम्बरान की नकल नक्शा ट्रेस अन्य खसरा नम्बरान के साथ दिखाई देते हुये साथ ही लालसोट मेगा हाईवे को नकल नक्शा सीट में प्रदर्शित करते हुये उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

अपीलार्थी द्वारा निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला–टोंक से आवेदक को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 349 दिनांक 29–6–2020 से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा नायब तहसीलदार दत्तवास को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास ने उनके पत्र कमांक 609 दिनाक 9–7–2020 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु सं0 A व E का सम्बधं कार्यालय उप तहसील दत्तवास से नहीं होने के कारण आवेदक को जिला रेकार्ड रूम टोंक से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया एवं शेष सूचना बिन्दु संख्या B,C,D,F,G,H से सम्बधित रेकार्ड आवेदक को उपल्ब्ध करवाकर रसीद प्राप्त कर ली गई है। आवेदक को दी गई सूचना की रसीद की प्रति न्यायालय हाजा मे दी गई है। अपीलार्थी को बिन्दु सं0 A व E से सम्बधित सूचना नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः प्रभारी अधिकारी (रिकार्ड शाखा) कलेक्ट्रेट टोंक अपीलान्ट को उक्त सूचना निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव निवाई/नायब तहसीलदार दत्तवास को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner